



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042026-272105  
CG-DL-E-27042026-272105

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 288]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 312(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये 1 जुलाई 2027 को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप नियम (10 क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(10 क) प्रत्येक ई- वाणिज्य इकाई, जो किसी आयातित उत्पाद को विक्रय के लिए प्रस्थापित करती है, 1 जुलाई, 2027 से यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे आयातित उत्पाद की उत्पाद सूची में उद्भव के देश को विनिर्दिष्ट करने के लिए खोज योग्य और श्रेणी बद्धकरणीय फिल्टर अंतर्विष्ट हो।”

[फा. सं. I-9/5/2023- डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202 (अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 128 (अ) तारीख 13 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2026

**G.S.R. 312(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Second Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2027.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 6 for sub-rule (10A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10A) Every e-commerce entity offering for sale any imported product shall, with effect from the 1st day of July, 2027, ensure that the product listing of such imported product contains a searchable and sortable filter specifying the country of origin.”

[F. No. I-9/5/2023-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 128(E), dated 13<sup>th</sup> February, 2026.